and wheat have been allotted to Bihar as a measure of drought relief.

(Figures in tonnes)

	Rice	Wheat
October, 1992	—	10,000
November, 1992	—	10,000
December, 1992	—	10,000
January, 1993	10,000	—
March, 1993	—	10,000
April, 1993	—	10,000

The Scheme for RPDS was launched formally on 1st January, 1992 in about 1700 Blocks in the country, identified in consultation with State Governments/UT Administrations. As per available reports, State Governments/UT Administrations are making all efforts to increase the availability of foodgrains through the PDS in the RPDS Blocks.

Refusal of Ration Supply in Delhi

3807. SHRI BALBIR SINGH : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it has come to his notice that some dealers of Fair Price Shops in Delhi have refused provision of ration to certain individuals on communal basis;

(b) if so, what action has been taken to correct the activities of erring dealers; and

(c) whether his Ministry has taken any precautionary measures to prevent such happenings in the future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) A report to this effect appeared in Newspaper on 19th February, 1993. Delhi Administration has reported that on enquiry, it was not found true.

(b) and (c) Do not arise.

दिल्ली में उपभोक्ताओं की दुर्दशा

3808. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन महीनों के दौरान कितने उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं और इन शिकायतों का स्वरूप क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के बजट में जिन मदों के मूल्य कम किये गए थे उन्हें बाजार में अभी भी बजट-पूर्व मूल्यों पर बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कितने व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है तथा भविष्य में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराये जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में 1766 शिकायतें दायर की गई हैं, जो आमतौर पर, परिवहन कम्पनियों, बीमा कम्पनियों, महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, निर्माताओं बिजली के उपकरणों की मरम्मत, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम आदि द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में अकुशलता से संबंधित हैं । उपर्युक्त सभी मामलों में विरोधी पक्षकारों/प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं ।

(ख) बाजार में बजट पूर्व मूल्यों पर बिक्री के बारे में मंत्रालय में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियमावली, 1977 को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, जिन्हें अपने प्रवर्तन तंत्र को चुस्त

करने की सलाह दी गई है । विनिर्माताओं/पैकरों को एसोसिएशनों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें कि वे इन नियमों के उपबंधों का पालन करें, अपने संशोधित मूल्यों को समाचार पत्रों में विज्ञापित करें और उनकी प्रतियां थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं को दें तथा उन्हें निदेश दें कि वे संशोधित मूल्यों से अधिक मूल्य न लें । व्यापार की आम सूचना के लिए एक ऐसा विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है ।

उपभोक्ताओं तक इन लाभों को पहुंचाने के लिए कारगर परिवीक्षा की दृष्टि से, मंत्रालय एक निगरानी समिति भी गठित करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें व्यापार, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारी शामिल होंगे ।

शराब को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाना

3809. **श्रीमती सत्या बहिन :**

श्रीमती कैलाश पति :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शराब (मदिरा) को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) और किन-किन मदों को इस श्रेणी में रखा गया है; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत, जब भी स्थितियों के अनुसार ऐसा अपेक्षित होता है और उस विषय से प्रयासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा आवश्यक सिफारिश की जाती है, वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं घोषित कर दिया जाता है ।

(ग) तथा (घ) इस समय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के 66 वर्ग इस रूप में सूचीबद्ध हैं । इनमें खाद्य सामग्रियां, धातुएं, खनिज, वस्त्र, मशीनरी तथा वस्तुओं की अन्य विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं, जो प्रत्येक विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध हैं ।

Allotment of ration depots

3810. SHRI MOHINDER SINGH KALYAN : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what is the criteria being followed in allotting ration depots to applicants;

(b) whether special considerations are showns to applicants from scheduled Caste and Scheduled Tribe communities; and

(c) what is the state-wise break-up of ration depots belonging to dealers from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (c) The operational responsibility for implementing the Public Distribution System (PDS) rests with the State Governments/UT Administrations. Decisions regarding opening of fair price shops, including policy relating to preferences are taken by the State Governments/UT Administrations. The Central Government has written to the State Governments/UT Administrations advising them to consider reserving a percentage for issue of licences for running a fair price shop and kerosene oil depot and coal depots under the PDS to persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. Some State Governments have fixed quota system of preferences in allotment of FPS/kerosene oil depot/coal depot to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, in their States. The